रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2001/अग्रहायण 1, 1923
No. 311] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2001/AGRAHAYANA 1, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2001

विषय :—कनाडा, जापान तथा ताइवान से पेन्टारीथ्रिटोल के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 48/1/2001-डी जी ए डी.— मै0 कनोड़िया कैमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्द्र प्रकाश, 21, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 ने वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें कनाडा, जापान और ताईवान से पेन्टारीथ्रिटोल के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

1. **शामिल उत्पादः-**

वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद कनाडा, जापान और ताईवान, यूरोपीय संघ (ईयू), संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए), कनाडा तथा चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल का अथवा वहां से निर्यातित पेन्टारीथ्रिटोल (जिसे इसके बाद "पेन्टा" या "संबंद्ध वस्तु" भी कहा गया है) है । वर्तमान जांच में पेन्टारीथ्रिटोल के सभी रूप शामिल हैं ।

पेन्टारीथ्रिटोल का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत सीमाशुल्क उपशीर्ष सं0 29054200 के तहत किया गया है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

यह याचिका मै0 कनोड़िया कैमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई है । भारत में पेन्टारीथ्रिटोल के अन्य घरेलू विनिर्माता भी हैं, नामतः मै0 प्रीस्ट्रोप एजीज कैमिकल्स लि0, मै0 एशियन पेंट्स (आई) लि0, मै0 एलाइड रेजिन्स लि0 इत्यादि ।

याचिकाकर्त्ता कम्पनी संबद्ध वस्तु के उत्पादन के 25 % से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और उसके पास याचिका दायर करने का आधार है ।

3 शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश कनाडा, जापान और ताईवान हैं ।

4. समान वस्तुएँ

याचिकाकर्त्ता ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों द्वारा उत्पादित, वहां के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । नियमों के अर्थों में याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की गई वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है ।

5. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्त्ता ने संबद्ध देशों के मामले में पेन्टारीथ्रिटोल के आकलित सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्त्ता ने संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का दावा अप्रैल, 2000 से जनवरी, 2001 तक की अवधि के लिए डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर

किया है । कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अन्तर्राज्यी परिहवन तथा बीमा एवं निकासी तथा अग्रेषण प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है ।

7. **पाटन मार्जिन**

इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उस कीमत से बहुत अधिक है जिस कीमत पर इसका भारत को निर्यात किया गया है और इससे इस बात का प्रथम दृष्ट्या संकेत मिलता है कि निर्यातको द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

8. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंड जैसे निर्यात कीमत मे गिरावट, बिक्री प्राप्ति में गिरावट, घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में गिरावट, और संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित कीमत न मिलने की घरेलू उद्योग की असफलता समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

9. **पाटनरोधी जांच का आरंभ**

उपरोक्त पैराग्राफो को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

10. **जांच की अवधि**

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक (12 महीनों) की है ।

11. **सूचना देना**

संबद्ध देशें के निर्यातकों और भारत के ज्ञात संबद्ध आयातकों को संबंधित सूचना निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से देने और अपने विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी), उद्योग भवन, नई दिल्ली110011 को भेजने के लिए अलग से लिखा जा रहा है । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जाँच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है ।

12. समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों क भीतर पहुँच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उनकों अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूप दिए गए हैं ।

14. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना देने से मना करती है या उचित समय के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढग से जॉच में बाधा डलती हैं तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यो के आधार पर अपने निष्कर्षो को दर्ज कर सकते है और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशे कर सकते हैं।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2001

Subject :— Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Pentaerythritol from Canada, Japan and Taiwan.

No. 48/1/2001-DGAD.—M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited,Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001 has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act,. 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) alleging dumping of Pentaerythritol from Canada, Japan & Taiwan and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

1. **PRODUCT INVOLVED:**

The product involved in the present petition is Pentaerythritol (also referred as 'Penta' or ' subject goods ' hereinafter) originating in or exported from Canada, Japan & Taiwan (hereinafter also referred as subject countries) Present investigation covers all forms of Pentaerythritol

Pentaerythritol is classified under Customs sub heading No. 29054200 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. **DOMESTIC INDUSTRY STANDING**:

The petition has been filed by M/s Kanoria Chemicals & Industries Limited,. There are other Domestic Manufacturers of Pentaerythritol in India viz. M/s Prestrop Ageies Chemicals Ltd, M/s Asian Paints (I) Ltd, M/s Allied Resins Ltd etc.

The petitioner company represents more than 25% of the production of subject goods and has the standing to file the petition.

3. **COUNTRY(IES) INVOLVED**:

The countries involved in the present investigation are Canada, Japan & Taiwan.

4. **LIKE ARTICLES:**

The petitioner has claimed that goods produced by them are like articles to the goods produced, originating in or exported from the subject countries. Goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

5. **NORMAL VALUE**:

The petitioner has claimed Normal Value based on the constructed Normal Value of Pentaerythritol in case of subject countries.

6. **EXPORT PRICE:**

The petitioner has claimed the Export Price of subject goods based on information furnished by DGCI&S, Calcutta for the period April, 2000 to January, 2001. Adjustments have been claimed on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Inland Transportation & Insurance and Clearing & Forwarding Charges to arrive at the Ex-factory price.

7. **DUMPING MARGIN:**

There is sufficient prima-facie evidence that Normal Value of subject goods in the subject countries is significantly higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that subject goods are being dumped by exporters from subject countries.

8. **INJURY AND CAUSAL LINK:**

Various parameters relating to injury such as the decline in export price, decline in the sales realization, decline in profitability of Domestic Industry and failure of Domestic Industry to realise fair and reasonable price from sale of subject goods, prima-facie indicate collectively and cumulatively that Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

9. **INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION:**

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraph, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

10. **PERIOD OF INVESTIGATION (POI):** The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2000 to 31st March, 2001(12 Months).

11. **SUBMISSION OF INFORMATION**:

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties (DGAD), Udyog Bhawan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. **TIME LIMIT:**

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above. not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

13. **INSPECTION OF PUBLIC FILE:**

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

14. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.